न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 59/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/151)
उनवानी प्रकरण :–

वीरीसिंह पुत्र भगवानसिंह उम्र 40 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ——————— ———————————अपीलान्ट

बनाम्

1–नायव तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–राधेश्याम । पुत्रगण । समस्त जातिगण जाटव
3–भोलाराम । मोतीराम । निवासीगण ग्राम भदियाना
4–ग्यानसिंह । । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5–मीरादेवी पुत्री मोतीराम । ——————————रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. रा. अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 217 बॉके ग्राम भदियाना आदेश नायव तहसील सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतार गौड एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 1की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0।
रेस्पोडेण्ट सं0 2,4,5 की ओर से :–श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 28.06.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि नामान्तकरण संख्या 217 बॉके ग्राम भदियाना में वर्णित आराजीयात सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की सरकारी जमीन है जो अपीलान्ट एंव अन्य ग्रामवासियों के उपयोग व उपभोग में ली जाती रही है। अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पो0 संख्या 2 लगा05 के पिता मोतीराम पुत्र बूचाराम जाति जाटव निवासी भदियाना ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर बिना कब्जे के तहत नामान्तकरण आदेश अपने नाम करवा लिया जो कि विधि विरूद्व है तथा वर्तमान में भी रेस्पो0 संख्या 2 लगा05 का कब्जा

नही है। अपीलान्ट तहत नामान्तकरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि तहत नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किसी प्रकार जांच पडताल नहीं की, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा रेस्पो0संख्या 2 लगा05 के पिता मोतीराम पुत्र बूचाराम को अवैध रूप से लाभ पहुँचाने की नीयत से तहत नामान्तकरण आदेश पारित किया है, जो कि कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। तहत नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कब्जे के बावत किसी प्रकार जांच पडताल नहीं की और समस्त कार्यवाही वाला–वाला अवैध रूप से सार्वजनिक हित को नजरअंदाज करते हुये अपीलान्ट एवं अन्य व्यक्तियों की बैक पर की गई है जो कि कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है। तहत नामान्तकरण आदेश रेस्पो0संख्या 2लगा05 के पिता मोतीराम पुत्र बूचाराम ने राज्य सरकार की बेसकीमती जमीन को हडपने की नीयत से बिना कब्जे के अपने नाम दाखिल खारिज कराया है जो असलियत के सर्वथा विपरीत है तथा काबिल निरस्ती है। तहत नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 30.8.2018 को हल्का पटवारी से हुआ। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी बरफू हुज्जत हस्व दफा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 217 बॉके ग्राम भदियाना पर पारित नामान्तकरण आदेश नायब तहसीलदार सैपऊ निरस्त फरमाया जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 217 बॉके ग्राम भदियाना, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 382 सम्बत 2073से 2076 ग्राम भदियाना, फोटोप्रति नकल नक्सा ट्रेस आराजी खसरा नम्बर 580 बॉके ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये तथा रैस्पो0संख्या–3 भोलाराम बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 19.12.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रैस्पोडेन्ट संख्या 2,4,5 की ओर से श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया, पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 30.08.2018 को हल्का पटवारी से हुआ। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण संतोषजनक कारणों सहित स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित हो लेकिन इस प्रा0पत्र में तथा सम्पूर्ण अपील में किस आदेश के विलम्ब को क्षमा करने के लिये प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उस आदेश को कहीं भी अंकित नहीं किया है तथा विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। इस विनाय पर प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिस पटटे के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसके कब्जे की जांच नही की। अपीलाधीन नामान्तकरण पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर नहीं है बिना कब्जे की जांच किय गलत भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस कथन किया कि रैस्पोडेन्ट के पिता मोतीराम को विवादित आराजी 26.9.1970 को आवटिंत की गई है। उक्त आवंटन आदेश से अपीलाधीन नामान्तकरण कैम्प भदियाना में विधि अनुसार गैरखातेदारी का तस्दीक किया गया है। रैस्पोडेन्ट ने आवंटन आदेश की प्रति पेश की है। आवंटन आदिनाक तक यथावत है जब तक आवंटन बहाल है तब तक नामान्तकरण खारिज नहीं हो सकता है। रैस्पोडेन्ट के पिता के नाम नामान्तकरण संख्या 216 से दिनाक 12.6.1981 गैर खातेदारी प्रदान की जाकर नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 4.6.1990 से खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अपीलान्ट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है यदि थर्ड पार्टी अपील करती है तो उसे 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की अनुमति लेनी चाहिऐ थी जो उसने नहीं ली जिसके कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि रैस्पो0 के पिता मोतीराम को विवादित आराजी 26.9.1970 को आवटिंत की गई। रैस्पोडेन्ट के पिता के नाम नामान्तकरण संख्या 216 से दिनाक 12.6.1981 को गैर खातेदारी प्रदान की जाकर नामान्तकरण संख्या 601 दिनांक 4.6.1990 से खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी ग्राम भदियाना सम्बत 2073 से 2076 में रेसपो0 संख्या 2

लगा05 खातेदार काश्तकार अंकित है। कानून की यह मान्यता है कि आवंटन यथावत है, जब तक आवंटन बहाल है तब तक नामान्तकरण खारिज नहीं हो सकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर धौलपुर
(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर